

4599

संख्या- 427211 / 2026-III(2) / 2026-02(एम०एल०ए०) / 2022
ई० पत्रावली संख्या-106818

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 27 अगस्त, 2026

CECP)
318
प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०

विषय:-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अंतर्गत 03 सेतुओं के उच्चीकरण कार्य (क्लास बी० लोडिंग से क्लास ए० लोडिंग) (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत 03 नं० सेतुओं के निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की लागत ₹21.24 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹14,86,000/- (₹ चौदह लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 03 कार्य हेतु ₹30,000/- (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (मी०) में	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अबमुक्त की जा रही धनराशि
1	UPGRADATION OF BRIDGE FROM SINGLE LANE TO TWO LANE SILKYARA BANGAWN CHAPDA SAROT MOTAR ROAD AT KM65 CHAINAGE 64.650 IN CHINYALISAUR BLOCK UTTARKASHI DISTRICT UNDER STATE SECTOR BRIDGE (ADB FUNDED) AT CHINYALISAUR, DISTT. UTTARKASHI (प्रथम चरण) (EDPR-4418)	16.00 मीटर	5.06	0.10
2	UPGRADATION OF BRIDGE FROM SINGLE LANE TO TWO LANE SILKYARA BANGAWN CHAPDA SAROT MOTAR ROAD AT KM65 CHAINAGE 64.100 IN CHINYALISAUR BLOCK (ADB FUNDED) ATCHINYALISAUR ,DISTT. UTTARKASHI (प्रथम	21.00 मीटर	6.64	0.10

EE(P-1)/CAO
5/19

CAO(P-1)

07-09-26

	चरण) (EDPR-4385)			
3	UPGRADATION OF BRIDGE FROM SINGLE LANE TO TWO LANE SILKYARA BANGAWN CHAPDA SAROT MOTAR ROAD AT KM 47 CHAINAGE 46.750 IN CHINYALISAUR BLOCK UTTARKASHI DISTRICT UNDER STATE SECTOR BRIDGE AT CHINYALISAUR DISTT. UTTARKASHI (प्रथम चरण) (EDPR-4354)	10.00 मीटर	3.16	0.10
	योग-	03 नं0 सेतु	14.86	0.30

(रैं तीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/ III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290 XXVII(7)/2012 वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा. वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.नि.) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाये।
- आगणन के अन्तर्गत किसी मद की पुनरावृत्ति न हो व आगे इस कार्य हेतु भेजे जाने वाला आगणन सभी भागों को संकलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन के रूप में गठित कर प्रेषित किया जाये, जिससे कि कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रक्यौरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/ XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2026

- द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
 - xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
 - xiii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
 - xiv. उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-383/III(1)19-190 (PWD)01 टी.सी. II, दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - xv. उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1403/III/(2)/21-08 (सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - xvi. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाए।
 - xvii. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य करने के दौरान एवं कार्य की समाप्ति पर फोटोग्राफ एवं वीडियो विभागाध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जायेगी।
 - xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4427 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।
- 3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-1/427154/2026, दिनांक-27.08.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 27-08-2026
17:50:23

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)

अपर राक्षिद



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/427211/2026

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26090220013

आवंटन पत्र दिनांक-02-SEP-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					3830000	30000	0	3860000				
योग					3830000	30000	0	3860000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन- I” उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक- 1109 / 20याताo(वित्तीय स्वीकृति)नियोo-1 / 2026,

दिनांक- 7 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 06 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
- अधिसासी अभियन्ता, 00 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्मालीखोड़।
- आईoटीo सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्याo प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

